S.E. (Civil) CIRCLE-III
2x500 MW, MTTPP, Marwa
R.R. No. 920
Date 01/06/17
E.E. (C) Dn. VI/Works/East

प्रति,

श्रीमान् जनसूचना अधिकारी

अधीक्षण अभियंता (सिविल) वृत्त–।।।

2X500 मे.वा. एम.डब्ल्यू.एम.टी.टी.पी.पी.

सी.एस.पी.जी.सी.एल.

जिला : जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

विषय :– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् चाही गई जानकारी प्रदाय करने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं लालजी सूर्यवंशी पिता अनंदराम, निवासी ग्राम वार्ड नंबर–20, खड़फड़ी पारा जांजगीर, जिला : जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.) का हूं, जो कि सूचना के अधिकार के तहत् आपके कार्यालय से निम्नलिखित जानकारी (दस्तावेज) की सत्यापित प्रतिलिपि की आवश्यकता है :–

1. यह कि आपके मड़वा–तेन्दूभांठा पॉवर प्लांट द्वारा अधिग्रहित भूमि में से भूमि स्वामी रामप्रसाद पिता हीरालाल जायसवाल, राधेश्याम पिता मालिकराम, बलदेव प्रसाद पिता सुन्दर लाल, बसंत सिंह पिता नरोत्तम सिंह, दामोदर वगैरह पीसरान जुड़ावन, हेमंत कुमार पिता दाऊसिंह, जगतराम पिता रामसिंह एवं रमेश कुमार पिता दिलेसर प्रसाद, तथा रामखिलावन राठौर, राघवेन्द्र राठौर , लालजी सूर्यवंशी पिता अनंदराम एवं अश्वनी सूर्यवंशी पिता लालजी सूर्यवंशी उक्त सभी व्यक्तियों के खाते में से कितनी रकबा एवं कितने खाते की भूमियां अधिग्रहित की गई है एवं उन खातों में से कितने व्यक्तियों को रोजगार/भत्ता अथवा कोई लाभांश प्रदान किया गया है, की जानकारी एवं पत्रक कमांक की जानकारी देने की कृपा करें।

2. यह कि उक्त दस्तावेज की कापी हेतु आवश्यक शुल्क भारतीय स्टेट बैंक शाखा जांजगीर में चालान के माध्यम से अदा किया गया है, शेष अतिरिक्त देय राशि नगद अदा करने हेतु तत्पर हूं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त वांछित जानकारी यथाशीघ्र प्रदाय करने की कृपा करें।

संलग्न :– चालान की मूलप्रति।

स्थान : जांजगीर,

दिनांक : 31.05.2017

आवेदक

लालजी

(लालजी सूर्यवंशी)

पता–ग्राम वार्ड नंबर–20,

खड़फड़ी पारा जांजगीर,

जिला : जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

सी एस पी जी सी एल
C PGCL

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

कार्यालय – अधीक्षण अभियंता (सिविल) वृत्त –III

2x500 मे.वा. मड़वा-तेन्दूभाठा ताविपरि. छराविउकं. मर्या. जिला – जांजगीर- चाम्पा (छ.ग.) ४९५६६८

क्रमांकः 005–7000 / ज.सू.अ. / 454

मड़वा दिनांक....01.. / 06 / 2017

प्रति,

जनसूचना अधिकारी
कार्या.–मुख्य अभियंता (मा–संसा.)
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या. डगनिया, रायपुर।

O/o CE (HR)
C.S.P.G.C.L., RAIPUR
Rect. No. 4630
Date 07.6.17

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् चाही गई जानकारी प्रदाय करने बाबत्।

संदर्भः– आवेदक श्री लालजी सूर्यवंशी द्वारा वार्ड क्र. 20 खड़फड़ी पारा जांजगीर का आवेदन दिनांक 31.05.2017 इस कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 01.06.2017

:::::::000:::::::

कृपया संलग्न पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 06, उपधारा (03) के अन्तर्गत आपके विभाग से संबंधित विषयवस्तु होने के कारण आवेदन मूलतः अंतरित किया जाता है। आवेदक के द्वारा मड़वा – तेन्दूभाठा पावर प्लांट द्वारा अधिग्रहित भूमि के उन खातो में से कितने व्यक्तियों को रोजगार / भत्ता अथवा कोई लाभांश प्रदान किया गया है, के संबंध में जानकारी मांगी गई है। तत्संबंध में आवेदक के द्वारा नियमानुसार राशि रू. 11 / – का चालान भी प्रस्तुत किया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी आवेदक को सीधे अपने स्तर पर अवगत कराते हुए इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।
भारतीय स्टेट बैंक चालान क्र. J-0480574404 की छाया प्रति।

सहा. जनसूचना अधिकारी
कार्या.– अधी. अभि. (सि) वृत्त–III
2x500 मे.वा. ता.वि.परि. मड़वा–तेन्दूभाठा

प्रतिलिपिः–

1. अपीलीय अधिकारी, कार्या. –अधीक्षण अभियंता (सि) वृत्त–3, 2x500 मे.वा. ता.वि.परि. मड़वा–तेन्दूभाठा।
2. जनसूचना अधिकारी, कार्या. –अधी. अभि. (सि) वृत्त–3, 2x500 मे.वा. ता.वि.परि. मड़वा–तेन्दूभाठा।
3. श्री लालजी सूर्यवंशी वार्ड क्र. 20 खड़फड़ी पारा जांजगीर, आपसे निवेदन है कि वांछित जानकारी प्राप्त करने हेतु उपरोक्त वर्णित कार्यालय को हस्तान्तरण कर दी गई है। अतः जानकारी उपरोक्त कार्यालय से प्राप्त करे।

DGM-I
M-II
M-III
M-IV

EE(S)

सहा. जनसूचना अधिकारी
कार्या.– अधी. अभि. (सि) वृत्त–III
2x500 मे.वा. ता.वि.परि. मड़वा–तेन्दूभाठा

E:\Vishnu\Civil circle - III\Suchana k Adhikar\Hindi letter Su. adhakar.doc

AE-8) 08/06/17

F

सी एस पी जी सी एल
CSPGCL

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

क्र. 03–11/सू.अधि./50–17/ 2454 रायपुर, दिनांक 12-06-17

प्रति,

श्री लाल जी सूर्यवंशी,
पता–ग्राम–वार्ड नंबर –20,
खड़फड़ी पारा जांजगीर जिला–जांजगीर चांपा छ.ग.।

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी विषयक।
संदर्भः–सहायक जनसूचना अधिकारी कार्या. अधी. अभि. (सि.) वृत्त – III मड़वा तेन्दुभाठा का पत्र क्र. 005–7000/जसूअ/454 दिनांक 01.06.2017 एवं इस कार्यालय का पंजीयन क्र. 50–17 दिनांक 05.06.17 ।

–::000::–

विषयांतर्गत, उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आपका आवेदन अंतरित होकर इस कार्यालय में दिनांक 03.06.2017 को प्राप्त हुआ है जिसे प्रकरण क्रमांक 50–17 दिनांक 05.06.2017 के द्वारा पंजीकृत किया गया है । आपके आवेदन में चाही गयी जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 02 के खण्ड क्र. 8 (ञ) के तहत व्यक्तिगत सूचना से संबंधित होने के कारण प्रकटन से छूट प्रदान किया गया है। अतः आपको जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती।

यदि आप उपरोक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत उक्त जानकारी के विरूद्ध, प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष, निर्धारित आवेदन पंजीयन शुल्क रू. 50/– मात्र का भुगतान कर प्रथम अपील आवेदन निर्णय प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का पता निम्नानुसार हैः–

श्री पी.के.अग्रवाल
अपीलीय अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.संसा.)–एक
कार्यालय– मुख्य अभियंता (मा.संसा.)
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर।
दूरभाष–0771–2574883

R.Jha 12/06/17

(राजीव झा)
जनसूचना अधिकारी सह प्रबंधक (मा.सं.)
कार्या.–मुख्य अभियंता (मा.संसा.),
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर
दूरभाष क्रमांक 0771–2574081

ok R 12/6/17

<u>प्रतिलिपिः</u>–

सहायक जनसूचना अधिकारी कार्या.–अधीक्षण अभियंता (सि) वृत्त–तीन, 2X500 मे.वा. छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., जिला – जांजगीर चांपा छ.ग. को उनके पत्र क्रमांक 005–7000/जसूअ/454 दिनांक 01.06.2017 के संबंध में सूचनार्थ ।